

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०ए०ए०)

वाद सं० : 33 सन 2022

अनवान :-

1. गोपीराम पुत्र मांगुराम जाति राईका निवारी गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुरती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :- 20/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम रोही गौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 35/26 की कुल 6.9680 हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण गोपीराम वल्द मांगीराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम गोपीराम वल्द मांगुराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी के पिता का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।


वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी के पिता का नाम गोपीराम पुत्र मांगुराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही गौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 35/26 की कुल 6.9680 हैक् भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम गोपीराम वल्द मांगीराम के स्थान पर गोपीराम वल्द मांगुराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही गौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 35/26 की कुल 6.9680 हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण गोपीराम वल्द मांगीराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम गोपीराम वल्द मांगुराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी के पिता का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी के पिता का नाम गोपीराम पुत्र मांगुराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी के नाम रोही मौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 35/26 की कुल 6.9680हैक् भूमि खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम गोपीराम वल्द मांगीराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसके पिता का सही नाम गोपीराम वल्द मांगुराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी के पिता का नाम गोपीराम वल्द मांगुराम दर्ज है प्रार्थी ने अपने पिता के नाम के सम्बन्ध में स्वयं का शपथ/दस्तावेजात /तहसीलदार की अभिशपा के आधार पर प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 35/26 की कुल 6.9680हैक् भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम गोपीराम वल्द मांगीराम के स्थान पर गोपीराम पुत्र मांगीराम उर्फ मांगुराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
ओहरा हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022
कैम्प कोर्ट...वाहगढ़

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर
क्रमांक : राजस्व/रीडर/2022/ 1540 दिनांक :- 20/05/22

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 33/2022 अनवानी गोपीराम बनाम सरकार में पारित
निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-
1. गोपीराम वल्द मांगुराम जाति राईका निवासी गिरासर तहसील
नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला
हनुमानगढ ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 05/2022 अनवानी गोपीराम बनाम
सरकार में दिनांक 20/5/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर रोही मौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 35/26 की कुल 6.9680 हेक्ठर भूमि में प्रार्थी
के पिता का नाम गोपीराम वल्द मांगीराम के स्थान पर गोपीराम पुत्र मांगीराम उर्फ मांगुराम
संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना
सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022
कैम्प कोर्ट तारखान